



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|----------|--|
| सं. 618] | नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 2018/भाद्र 15, 1940 |
| No. 618] | NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2018/BHADRA 15, 1940 |

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 841(अ).—केन्द्र सरकार, फुटबियर डिजाइन और विकास संस्थान अधिनियम 2017 (2017 का 20) की धारा 16 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फुटबियर डिजाइन और विकास संस्थान में प्रबंध निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, फुटबियर डिजाइन और विकास संस्थान, प्रबंध निदेशक भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **चयन प्रक्रिया :**—(1) “ रोजगार समाचार ” में विज्ञापन, जिसमें खुला विज्ञापन भी शामिल है, के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाएगा।

(2) आवेदन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम सीमा 4 सप्ताह होनी चाहिए। त्वरित मामलों, जिनमें अपरिहार्य कारणों से रिक्ति को तत्काल भरना अनिवार्य हो, वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव के अनुमोदन से आवेदन की अल्प समयावधि, कम से कम 2 सप्ताह निर्धारित की जाएगी।

- (3) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र या निजी क्षेत्रों के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों या वैधानिक निकायों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के आवेदकों द्वारा उचित माध्यम द्वारा आवेदन करना अनिवार्य होगा, जो बदले में विगत 5 वर्षों की समस्त वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट का अग्रेषण करेंगे।
- (4) चयन और नियुक्ति प्रक्रिया में निष्पक्षता, पारदर्शिता और समुचित आयोजन के लिए वाणिज्य विभाग एक चयन समिति का गठन करेंगे। चयन समिति की संरचना स्तंभ (12) में विनिर्दिष्ट है।
- (5) चयन समिति की बैठक के आयोजन के लिए कम से कम तीन सदस्यों का कोरम अपेक्षित होगा, जिसमें अध्यक्ष शासी परिषद भी शामिल हैं।
- (6) वाणिज्य विभाग, फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान में प्रबंध निदेशक के पद के लिए विज्ञापन जारी करके आवेदन आमंत्रित करेगा। इस प्रकार प्राप्त सभी आवेदनों को चयन समिति को सौंप दिया जाएगा। चयन समिति द्वारा अर्हता मानदण्डों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी। चयन समिति, पर्सनेलिटी टेस्ट/साक्षात्कार या अन्य यथा उपयुक्त पद्धति के आधार पर उम्मीदवारों की तैयार सूची से योग्य उम्मीदवारों के नामों के एक पैनेल की संस्तुति करेगी। चयन समिति की संस्तुतियां संबंधित मंत्री, जो इस मामले में सक्षम प्राधिकारी होंगे, के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद प्रस्ताव मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) को भेजी जाएगी। एसीसी के अनुमोदन के बाद उम्मीदवार की नियुक्ति फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान के प्रबंध निदेशक के पद पर की जाएगी।

5. अन्य नियमों का लागू होना आदि.—(1) अधिकारी सतर्कता की दृष्टि से सही होना चाहिए। आवेदन के अग्रेषण के समय आवेदक के मूल संवर्ग द्वारा इस संबंध में एक प्रमाण – पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

- (2) अधिकारी पर केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए रोक न लगाई गई हो।
- (3) अधिकारी का पिछले वर्षों में कम से कम “बहुत अच्छा” सेवा रिकार्ड होना चाहिए। हालांकि, जिन अधिकारियों का 8 या उससे अधिक अंकों का “उत्कृष्ट” सेवा रिकार्ड होगा, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
- (4) आवेदन प्रस्तुत करते समय अधिकारी अध्ययन अवकाश या लम्बी छुट्टी पर नहीं होना चाहिए।
- (5) अधिकारी विदेश में प्रशिक्षण के लिए नामित नहीं होना चाहिए या आवेदन प्रस्तुत करते समय किसी विदेशी कार्य अथवा प्रशिक्षण पर नहीं होना चाहिए।
- (6) सभी मान्य नियम व विनियम, अनुशासनात्मक नियमों इत्यादि सहित नियुक्त व्यक्ति पर लागू होंगे।

6. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार को यह संतुष्टी हो जाती है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---------------|-----------|----------------|-----------------------------------|----------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| प्रबंध निदेशक | 1 (एक) | लागू नहीं होता | स्तर- 14 (144200-218200 रुपये) | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| | | |
|---|--------------------------------|--|
| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा। |
| (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोन्नति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालीन संविदा भी है) |

| |
|--|
| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा। |
| (11) |
| <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालीन संविदा भी है) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्त या सांविधिक निकाय या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(i) (क) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या</p> <p>(ख) जिन्होंने आवेदन की अंतिम तारीख को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में समूह 'क' अथवा समतुल्य सेवा में कम से कम पंद्रह वर्ष की सेवा की हो।</p> <p>(ग) जिन्होंने आवेदन की अंतिम तारीख को ऊपर उल्लिखित समूह 'क' में 15 वर्ष की सेवा में से कम से कम 3 वर्ष तक केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 13 या समतुल्य में सेवा की हो।</p> <p>(ii) निम्नलिखित अर्हताएं रखते हों, अर्थात :—</p> <p>(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री;</p> <p>(ख) प्रशासन के क्षेत्र में दस वर्षों का अनुभव।</p> <p>(iii) वांछनीय</p> <p>(क) चमड़ा प्रौद्योगिकी अथवा उद्योग में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव;</p> <p>(ख) व्यापार प्रशासन में स्नातकोत्तर।</p> <p>टिप्पण 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> |

- टिप्पण 2.** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- टिप्पण 3.** प्रतिनियुक्ति की अवधि पांच वर्ष की होगी। प्रतिनियुक्ति केंद्र सरकार की विदेश सेवा के निबंधन और शर्तों के अनुसार होगी।
- टिप्पण 4.** कार्य निष्पादन असंतोषजनक पाए जाने पर सक्षम प्राधिकारी को सेवाकाल के दौरान किसी समय भी अधिकारी को उसके मूल कैडर में वापस भेजने का अधिकार होगा। सक्षम प्राधिकारी का निर्णय ऐसे मामले में अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- टिप्पण 5.** प्रतिनियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी संगत निदेशों के अधीन होंगी।

| यदि विभागीय चयन समिति है, तो उसकी संरचना। | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|---|--|
| (12) | (13) |
| चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:— (क) अपर सचिव, वाणिज्य विभाग – अध्यक्ष (ख) अध्यक्ष, शासी परिषद, फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान – सदस्य (ग) चमड़ा उद्योग से एक सदस्य और; (घ) किसी प्रमुख संस्थान जैसे केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान अथवा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान अथवा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अथवा राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान से वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा नामित एक बाहरी विशेषज्ञ | लागू नहीं होता होता। |

[फा. सं. के- 50011/1/2018 – ईपी (एलएसजी)]

अनीता प्रवीण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2018

G.S.R. 841(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 35 read with sub-section (1) of section 16 of the Footwear Design and Development Institute Act, 2017 (20 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Managing Director in the Footwear Design and Development Institute namely:—

1. **Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Footwear Design and Development Institute, Managing Director Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of Post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications etc. shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Selection Procedure.**—(1) By invitation of applications through open advertisement including advertisement in 'Employment News'.

(2) The minimum time allowed for receipt of application should be four weeks. In urgent cases where there are compelling reasons to fill the vacancy early, a shorter time period of not less than two weeks is prescribed with the approval of Joint Secretary, Department of Commerce.

(3) The applicants from Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertaking or Autonomous Body or statutory Body or University or recognised Research Institute are required to apply through proper channel, who in turn will forward copies of completed Annual Confidential Report/Annual Performance Appraisal Report for the last five years.

(4) To conduct the selection and appointment process in a fair, transparent and proper manner, a Selection Committee shall be formed by the Department of Commerce. The composition of Selection Committee shall be as specified in column (12).

(5) Quorum of at least three members, including Chairperson, Governing Council shall be required for convening a meeting of Selection Committee.

(6) The Department of Commerce shall issue the advertisement for inviting the applications for the post of Managing Director, Footwear Design and Development Institute. All the applications so received shall be handed over to the Selection Committee. The Selection Committee shall scrutinise, shortlist the applications received on the basis of eligibility criteria. The Selection Committee shall recommend a panel of names of suitable candidates from the shortlisted candidates on the basis of personality test / interview or any other method as deemed fit. The recommendation of the Selection Committee shall be put-up for approval of the Minister concerned. Thereafter, the proposal shall be sent to the Appointments Committee of the Cabinet (ACC). After approval of the ACC, the candidate shall be appointed as Managing Director, Footwear Design and Development Institute.

5. **Applicability of other rules etc.** – (1) The officer should be clear from vigilance angle. A certificate to this effect shall have to be furnished by the parent cadre of the applicant while forwarding the application.

(2) The officer should not have been debarred from Central deputation.

(3) The officer should have at least "very good" service record in the last five years, however, preference will be given to officers who have "outstanding" service record with a grading of eight and above.

(4) The officer should not be on study leave or long leave on the date of submitting the application.

(5) The officer should not have been nominated for foreign training or should not be on training or foreign assignment on the date of submitting the application.

(6) All applicable rules and regulations, including disciplinary rules etc. shall apply to the appointee.

6. **Disqualification.**— No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

8. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, Schedules Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of the post. | Number of post. | Classification. | Level in the Pay matrix. | Whether selection post or non-selection post. | Age limit for direct recruits. |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---|--------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Managing Director. | 1 (One). | Not applicable. | Level – 14 (Rs. 144200-218200). | Not applicable. | Not applicable. |

| Educational and other qualifications required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any. |
|--|--|------------------------------|
| (7) | (8) | (9) |
| Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |

| |
|--|
| Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer. |
| (10) |
| By deputation (including short-term contract). |

| |
|---|
| In case of recruitment by promotion or deputation / transfer, grades from which promotion or deputation / transfer is to be made. |
| (11) |
| <p>By deputation (including short-term contract):</p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertaking or Autonomous or Statutory body or University or recognised Research Institute.</p> <p>(i) (a) holding analogous post on regular basis; or</p> <p>(b) with at least fifteen years' service in Group. 'A' or equivalent service in the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory Body or University or recognised Research Institute on the closing date of application;</p> <p>(c) out of the fifteen years of service in Group 'A' as mentioned above, at least three years of service in level 13 in the pay matrix or equivalent in the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory Body or University or recognised Research Institute on the closing date of application;</p> <p>(ii) Possessing the following qualifications, namely:-</p> <p>(a) Bachelor Degree from a recognised University;</p> <p>(b) with ten years' experience in the field of administration.</p> <p>(iii) Desirable :—</p> <p>(a) Experience in Leather Technology or Industry of at least one year.</p> <p>(b) Master in Business Administration.</p> <p>Note 1.—The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> |

| |
|--|
| <p>Note 2. -The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty five years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3. -The period of deputation shall be for five years. The deputation shall be on foreign service terms and conditions of the Central Government.</p> <p>Note 4.—In the event of performance being found unsatisfactory, the competent authority reserves the right to repatriate the officer to his/her parent cadre any time during the tenure. The decision of the competent authority in such cases shall be final and binding.</p> <p>Note 5.—Other terms and conditions of the deputation shall be governed by the relevant instructions issued by the Central Government from time to time.</p> |
|--|

| | |
|--|---|
| If a Departmental Selection Committee exists, what is its composition? | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment. |
| 12. | 13. |
| <p>The Selection Committee consisting of:-</p> <p>(a) Additional Secretary, Department of Commerce - Chairperson;</p> <p>(b) The Chairperson, Governing Council, Footwear Design and Development Institute – member.</p> <p>(c) One member from Leather Industry; and</p> <p>(d) One outside expert of eminence from prominent organisations like Central Leather Research Institute or National Institute of Fashion Technology or Indian Institute of Technology or National Institute of Design to be nominated by the Department of Commerce, Government of India.</p> | Not applicable. |

[F. No. K-50011/1/2018-EP (LSG)]

ANITA PRAVEEN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 842(अ).—केन्द्र सरकार, फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान अधिनियम 2017 (2017 का 20) की धारा 17 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान में सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान, सचिव भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **चयन प्रक्रिया :**—(1) “ रोजगार समाचार ” में विज्ञापन, जिसमें खुला विज्ञापन भी शामिल है, के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाएगा।

(2) आवेदन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम सीमा 4 सप्ताह होनी चाहिए। त्वरित मामलों, जिनमें अपरिहार्य कारणों से रिक्ति को तत्काल भरना अनिवार्य हो, वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव के अनुमोदन से आवेदन की अल्प समयावधि, कम से कम 2 सप्ताह निर्धारित की जाएगी।

(3) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र या निजी क्षेत्रों के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों या वैधानिक निकायों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के आवेदकों द्वारा उचित माध्यम द्वारा आवेदन करना अनिवार्य होगा, जो बदले में विगत 5 वर्षों की समस्त वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/वार्षिक कार्य – निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट का अग्रेषण करेंगे।

(4) चयन और नियुक्ति प्रक्रिया में निष्पक्षता, पारदर्शिता और समुचित आयोजन के लिए वाणिज्य विभाग एक चयन समिति का गठन करेंगे। चयन समिति की संरचना स्तभ (12) में विनिर्दिष्ट है।

(5) चयन समिति की बैठक के आयोजन के लिए कम से कम तीन सदस्यों का कोरम अपेक्षित होगा जिसमें फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान के प्रबंध निदेशक भी शामिल होंगे, फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान, प्रबंध निदेशक चयन समिति के सदस्य सचिव होंगे।

(6) वाणिज्य विभाग, फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान में सचिव के पद के लिए विज्ञापन जारी करके आवेदन आमंत्रित करेगा। इस प्रकार प्राप्त सभी आवेदनों को चयन समिति को सौंप दिया जाएगा। चयन समिति द्वारा अर्हता मानदण्डों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी। चयन समिति, पर्सनेलिटी टेस्ट/इन्टव्यू या अन्य यथा उपयुक्त पद्धति के आधार पर उम्मीदवारों की तैयार सूची से योग्य उम्मीदवारों के नामों के एक पैनल की संस्तुति करेगी। चयन समिति की संस्तुतियों को संबंधित मंत्री, जो इस मामले में सक्षम प्राधिकारी होंगे, के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद पैनल के क्रम संख्या के अनुसार पैनल के नामों में से उम्मीदवार की नियुक्ति फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान के सचिव के पद पर की जाएगी।

5. अन्य नियमों का लागू होना आदि – (1) अधिकारी सतर्कता की दृष्टि से सही होना चाहिए। आवेदन के अग्रेषण के समय आवेदक के मूल संवर्ग द्वारा इस संबंध में एक प्रमाण – पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) अधिकारी पर केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए रोक न लगाई गई हो।

(3) अधिकारी का पिछले वर्षों में कम से कम “बहुत अच्छा” सेवा रिकार्ड होना चाहिए। हालांकि, जिन अधिकारियों का 8 या उससे अधिक अंकों का “उत्कृष्ट” सेवा रिकार्ड होगा, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) आवेदन प्रस्तुत करते समय अधिकारी अध्ययन अवकाश या लम्बी छुट्टी पर नहीं होना चाहिए।

(5) अधिकारी विदेश में प्रशिक्षण के लिए नामित नहीं होना चाहिए या आवेदन प्रस्तुत करते समय किसी विदेशी कार्य अथवा प्रशिक्षण पर नहीं होना चाहिए।

(6) सभी मान्य नियम व विनियम, अनुशासनात्मक नियमों इत्यादि सहित नियुक्त व्यक्ति पर लागू होंगे।

6. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार को यह संतुष्टी हो जाती है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|-----------|-----------|------------------|--------------------------------|------------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| सचिव | 1 (एक) | लागू नहीं होता । | स्तर - 13 (123100-215900 रूपए) | लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । |

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा । |
| (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । | प्रोन्नति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालीन संविदा भी है) । |

| |
|--|
| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा । |
| (11) |
| <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालीन संविदा भी है) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्त या सांविधिक निकाय या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(i) (क) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या</p> <p>(ख) जिन्होंने आवेदन की अंतिम तारीख को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में समूह 'क' या समतुल्य सेवा में कम से कम दस वर्ष की सेवा की हो ।</p> <p>(ग) जिन्होंने आवेदन की अंतिम तारीख को ऊपर उल्लिखित समूह 'क' में 10 वर्ष की सेवा में से कम से कम 5 वर्ष तक केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 12 या समतुल्य में सेवा की हो ।</p> <p>(ii) निम्नलिखित अर्हताएं रखते हों, अर्थात् :—</p> <p>(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री;</p> <p>(ख) प्रशासन के क्षेत्र में दस वर्षों का अनुभव ।</p> <p>(iii) बांछनीय</p> <p>(क) चमड़ा प्रौद्योगिकी अथवा उद्योग में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव;</p> <p>(ख) व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री ।</p> |

| |
|--|
| <p>टिप्पण 1. – प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2. – प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3. – प्रतिनियुक्ति की अवधि भारत सरकार द्वारा विहित समय सीमा के अनुसार पांच वर्ष की होगी। प्रतिनियुक्ति केंद्र सरकार की विदेश सेवा के निबंधन और शर्तों के अनुसार होगी।</p> <p>टिप्पण 4- कार्य निष्पादन असंतोषजनक पाए जाने पर सक्षम प्राधिकारी को सेवाकाल के दौरान किसी समय भी अधिकारी को उसके मूल कैडर में वापस भेजने का अधिकार होगा। ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।</p> <p>टिप्पण 5- प्रतिनियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें समय – समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी संगत निदेशों के अधीन होगी।</p> |
|--|

| | |
|--|--|
| यदि विभागीय चयन समिति है, तो उसकी संरचना। | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
| (12) | (13) |
| चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:— (क) संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग – अध्यक्ष (ख) प्रबंध निदेशक, फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान – सदस्य (ग) चमड़ा उद्योग से एक सदस्य और; (घ) किसी प्रमुख संस्थान जैसे केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान अथवा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान अथवा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अथवा राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान से वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा नामित एक बाहरी विशेषज्ञ। | लागू नहीं होता। |

[फा. सं. के- 50011/1/2018 – ईपी (एलएसजी)]

अनीता प्रवीण, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2018

G.S.R. 842(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 35 read with sub-section (1) of section 17 of the Footwear Design and Development Institute Act, 2017 (20 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Secretary in the Footwear Design and Development Institute namely:-

1. **Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Footwear Design and Development Institute, Secretary Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of Post, classification and level in the pay matrix.**—The number of posts, its classification and level in the pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications etc. shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Selection Procedure.** – (1) By invitation of applications through open advertisement including advertisement in ‘Employment News’.

(2) The minimum time allowed for receipt of application should be four weeks. In urgent cases where there are compelling reasons to fill the vacancy early, a shorter time period of not less than two weeks is prescribed with the approval of Joint Secretary, Department of Commerce.

(3) The applicants from Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory Body or University or recognised Research Institute are required to apply through proper channel, who in turn will forward copies of completed Annual Confidential Report / Annual Performance Appraisal Report for the last five years.

(4) To conduct the selection and appointment process in a fair, transparent and proper manner, a Selection Committee shall be formed by the Department of Commerce. The composition of Selection Committee shall be as specified in column (12).

(5) Quorum of at least three members, including Managing Director, Footwear Design and Development Institute shall be required for convening a meeting of Selection Committee. Managing Director, Footwear Design and Development Institute shall be the Member Secretary of the Selection Committee.

(6) The Department of Commerce shall issue the advertisement for inviting the applications for the post of Secretary, Footwear Design and Development Institute. All the applications so received shall be handed over to the Selection Committee. The Selection Committee shall scrutinise, shortlist the applications received on the basis of eligibility criteria. The Selection committee shall recommend a panel of names of suitable candidates from the shortlisted candidates on the basis of personality test / interview or any other method as deemed fit. The recommendation of the Selection Committee shall be put-up for approval of the Minister concerned who will be the competent authority in the case. After approval of the competent authority, the candidate shall be appointed as Secretary, Footwear Design and Development Institute from the panel of names as per the serial order in the panel.

5. **Applicability of other rules etc.** – (1) The officer should be clear from vigilance angle. A certificate to this effect shall have to be furnished by the parent cadre of the applicant while forwarding the application.

(2) The officer should not have been debarred from Central deputation.

(3) The officer should have at least “very good” service record in the last five years, however, preference will be given to officers who have “outstanding” service record with a grading of eight and above.

(4) The officer should not be on study leave or long leave on the date of submitting the application.

(5) The officer should not have been nominated for foreign training or should not be on training or foreign assignment on the date of submitting the application.

(6) All applicable rules and regulations, including disciplinary rules etc. shall apply to the appointee.

6. **Disqualification.**— No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

8. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, Schedules Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of the post. | Number of post. | Classification. | Level in the pay matrix. | Whether selection post or non-selection post. | Age limit for direct recruits. |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---|--------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Secretary. | 1(One). | Not applicable. | Level 13 (Rs. 123100 - 215900). | Not applicable. | Not applicable. |

| Educational and other qualifications required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any. |
|--|--|------------------------------|
| (7) | (8) | (9) |
| Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |
| | | |

| Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer. |
|--|
| 10. |
| By deputation (including short-term contract). |

| In case of recruitment by promotion or deputation/transfer, grades from which promotion or deputation on transfer is to be made. |
|---|
| 11. |
| <p>By deputation (including short-term contract):</p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector undertaking or Autonomous Body or Statutory Body or University or recognized research institute.</p> <p>(i) (a) holding analogous post on regular basis; or</p> <p>(b) with at least ten years' experience in Group. 'A' or equivalent service in the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory Body or University or recognised Research Institute, on the closing date of application;</p> <p>(c) out of the ten years of service in Group. 'A' as mentioned above, at least five years of service should be in Level 12 in the pay matrix or equivalent service in the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory Body or University or recognised Research Institute, on the closing date of application;</p> <p>(ii) Possessing the following qualifications, namely;-</p> <p>(a) Bachelor degree from a recognised University;</p> <p>(b) with at least five years' experience in the field of administration.</p> <p>(iii) Desirable :—</p> <p>(a) Experience in Leather Technology or Industry of at least one year.</p> <p>(b) Master in Business Administration.</p> <p>Note 1.—The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 2.—The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty years as on the closing date of receipt of applications.</p> |

Note 3. -The period of deputation shall be for five years subject to overall ceiling prescribed by the Government of India. The deputation will be on foreign service terms and conditions of the Central Government.

Note 4.—In the event of performance being found unsatisfactory, the competent authority reserves the right to repatriate the officer to his/her parent cadre any time during the tenure. The decision of the competent authority in such cases shall be final and binding.

Note 5.—Other terms and conditions of the deputation shall be governed by the relevant instructions issued by the Central Government from time to time.

| | |
|---|---|
| If a Departmental Selection Committee exists what is its composition? | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment. |
| 12. | 13. |
| (a) Joint Secretary, Department of Commerce – Chairperson; (b) Managing Director, Footwear Design and Development Institute – Member; (c) One member from Leather Industry; and (d) One outside expert of eminence from prominent organisations like Central Leather Research Institute or National Institute of Fashion Technology or Indian Institute of Technology or National Institute of Design to be nominated by the Department of Commerce, Government of India. | Not applicable. |

[F. No. - K-50011/1/2018-EP (LSG)]

ANITA PRAVEEN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 843(अ).—केन्द्र सरकार, फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान अधिनियम 2017 (2017 का 20) की धारा 18 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान में कार्यकारी निदेशक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान, कार्यकारी निदेशक भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **चयन प्रक्रिया :**—(1) " रोजगार समाचार " में विज्ञापन, जिसमें खुला विज्ञापन भी शामिल है, के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाएगा।

(2) आवेदन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम सीमा 4 सप्ताह होनी चाहिए। त्वरित मामलों, जिनमें अपरिहार्य कारणों से रिक्ति को तत्काल भरना अनिवार्य हो, वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव के अनुमोदन से आवेदन की अल्प समयावधि, कम से कम 2 सप्ताह निर्धारित की जाएगी।

(3) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र या निजी क्षेत्रों के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों या वैधानिक निकायों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के आवेदकों द्वारा उचित माध्यम द्वारा आवेदन करना अनिवार्य होगा, जो बदले में विगत 5 वर्षों की समस्त वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/वार्षिक कार्य – निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट का अग्रेषण करेंगे।

(4) चयन और नियुक्ति प्रक्रिया में निष्पक्षता, पारदर्शिता और समुचित आयोजन के लिए वाणिज्य विभाग एक चयन समिति का गठन करेंगे। चयन समिति की संरचना स्तम्भ (12) में विनिर्दिष्ट है।

(5) चयन समिति की बैठक के आयोजन के लिए न्यूनतम तीन सदस्यों का कोरम अपेक्षित होगा जिसमें फुटबियर डिजाइन और विकास संस्थान के प्रबंध निदेशक भी शामिल होंगे। फुटबियर डिजाइन और विकास संस्थान, प्रबंध निदेशक चयन समिति के सदस्य सचिव होंगे।

(6) वाणिज्य विभाग, फुटबियर डिजाइन और विकास संस्थान में कार्यकारी निदेशक के पद के लिए विज्ञापन जारी करके आवेदन आमंत्रित करेगा। इस प्रकार प्राप्त सभी आवेदनों को चयन समिति को सौंप दिया जाएगा। चयन समिति द्वारा अर्हता मानदण्डों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी। चयन समिति, पर्सनेलिटी टेस्ट/इन्टर्व्यू या अन्य यथा उपयुक्त पद्धति के आधार पर उम्मीदवारों की तैयार सूची से योग्य उम्मीदवारों के नामों के एक पैनल की संस्तुति करेगी। चयन समिति की संस्तुतियों को संबंधित मंत्री, जो इस मामले में सक्षम प्राधिकारी होंगे, के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद पैनल के क्रम संख्या के अनुसार पैनल के नामों में से उम्मीदवार की नियुक्ति फुटबियर डिजाइन और विकास संस्थान के कार्यकारी निदेशक के पद पर की जाएगी।

5. अन्य नियमों का लागू होना, आदि - (1) अधिकारी सतर्कता की दृष्टि से सही होना चाहिए। आवेदन के अग्रेषण के समय आवेदक के मूल संवर्ग द्वारा इस संबंध में एक प्रमाण – पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) अधिकारी पर केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए रोक न लगाई गई हो।

(3) अधिकारी का पिछले वर्षों में कम से कम “बहुत अच्छा” सेवा रिकार्ड होना चाहिए। हालांकि, जिन अधिकारियों का 8 या उससे अधिक अंकों का “उत्कृष्ट” सेवा रिकार्ड होगा, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) आवेदन प्रस्तुत करते समय अधिकारी अध्ययन अवकाश या लम्बी छुट्टी पर नहीं होना चाहिए।

(5) अधिकारी विदेश में प्रशिक्षण के लिए नामित नहीं होना चाहिए या आवेदन प्रस्तुत करते समय किसी विदेशी कार्य अथवा प्रशिक्षण पर नहीं होना चाहिए।

(6) सभी मान्य नियम व विनियम, जिसके अंतर्गत अनुशासनात्मक नियम आदि भी शामिल हैं, नियुक्त व्यक्ति पर लागू होंगे।

(7) अधिकारी: फुटबियर डिजाइन और विकास संस्थान के किसी परिसर में संपूर्ण भारत में सेवा के लिए उत्तरदायी होंगे।

6. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार को यह संतुष्टी हो जाती है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ |
|------------------|--|-----------------|-------------------------------|-----------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| कार्यकारी निदेशक | 12* (बारह) * कार्यभार में परिवर्तन के अनुसार। | लागू नहीं होता। | स्तर - 12 (78800-209200 रूपए) | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। |

| | | |
|---|--------------------------------|--|
| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा। |
| (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | प्रोन्नति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालीन संविदा भी है) |

| |
|---|
| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनमें प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा। |
| (11) |
| प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालीन संविदा भी है) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्त या सांविधिक निकाय या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी: |
| (i) (क) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या |
| (ख) जिन्होंने आवेदन की अंतिम तारीख को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में समूह 'क' अथवा समतुल्य सेवा में कम से कम आठ वर्ष की सेवा की हो। |
| (ग) जिन्होंने आवेदन की अंतिम तारीख को ऊपर उल्लिखित समूह 'क' में 8 वर्ष की सेवा में से कम से कम 5 वर्ष तक केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 11 या समतुल्य में सेवा की हो। |
| (ii) निम्नलिखित अर्हताएँ रखते हों, अर्थात् :—(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; |
| (ख) प्रशासन के क्षेत्र में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव। |
| (iii) वांछनीय |
| (क) चमड़ा प्रौद्योगिकी अथवा उद्योग में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव; |

(ख) व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री।

टिप्पण 1. – प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2. – प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3. – प्रतिनियुक्ति की अवधि भारत सरकार द्वारा विहित समय सीमा के अनुसार पांच वर्ष की होगी। प्रतिनियुक्ति केंद्र सरकार की विदेश सेवा के निबंधन और शर्तों के अनुसार होगी।

टिप्पण 4- कार्य निष्पादन असंतोषजनक पाए जाने पर सक्षम प्राधिकारी को सेवाकाल के दौरान किसी समय भी अधिकारी को उसके मूल कैडर में वापस भेजने का अधिकार होगा। ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

टिप्पण 5- प्रतिनियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें समय – समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी संगत निदेशों के अधीन होंगी।

टिप्पण 6 भारत सरकार में उच्चतर स्तर पर सेवा करने वाले व्यक्ति (केवल वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 या निदेशक के समकक्ष), भी आवेदन कर सकते हैं और अगर अर्हता वर्ग से कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं पाया जाता है तो उन्हें नियुक्ति के योग्य समझा जाएगा।

| | |
|--|--|
| यदि विभागीय चयन समिति है, तो उसकी संरचना। | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
| (12) | (13) |
| चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:— (क) संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग – अध्यक्ष (ख) प्रबंध निदेशक, फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान (उसकी अनुपस्थिति में सचिव फुटवियर, डिजाइन और विकास संस्थान) – सदस्य (ग) चमड़ा उद्योग से एक सदस्य और; (घ) किसी प्रमुख संस्थान जैसे केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान अथवा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान अथवा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अथवा राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान से वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा नामित एक बाहरी विशेषज्ञ। | लागू नहीं होता। |

[फा. सं. के- 50011/1/2018-ईपी (एलएसजी)]

अनीता प्रवीण, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2018

G.S.R. 843(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 35 read with sub-section (1) of section 18 of the Footwear Design and Development Institute Act, 2017 (20 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Executive Director in the Footwear Design and Development Institute namely:—

1. **Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Footwear Design and Development Institute, Executive Director Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of Post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications etc. shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Selection Procedure.** – (1). By invitation of applications through open advertisement including advertisement in ‘Employment News’.

(2). The minimum time allowed for receipt of application should be four weeks. In urgent cases where there are compelling reasons to fill the vacancy early, a shorter time period of not less than two weeks is prescribed with the approval of Joint Secretary, Department of Commerce.

(3). The applicants from Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory Body or University or recognized Research Institute are required to apply through proper channel, who in turn will forward copies of completed Annual Confidential Report/Annual Performance Appraisal Report for the last five years.

(4). To conduct the selection and appointment process in a fair, transparent and proper manner, a Selection Committee shall be formed by the Department of Commerce. The composition of Selection Committee shall be as specified in column (12).

(5). Quorum of at least three members, including Managing Director, Footwear Design and Development Institute shall be required for convening a meeting of Selection Committee. Managing Director, Footwear Design and Development Institute shall be the Member Secretary of the Selection Committee.

(6). The Department of Commerce shall issue the advertisement for inviting the applications for the post of Executive Director, Footwear Design and Development Institute. All the applications so received shall be handed over to the Selection Committee. The Selection Committee shall scrutinise, shortlist the applications received on the basis of eligibility criteria and the Selection Committee shall recommend a panel of names of suitable candidates from the shortlisted candidates on the basis of personality test / interview or any other method as deemed fit. The recommendation of the Selection Committee shall be put-up for approval of the Minister concerned who will be the competent authority in the case and after approval of the competent authority, the candidate shall be appointed as Executive Director, Footwear Design and Development Institute from the panel of names as per the serial order in the panel.

5. **Applicability of other rules etc.** – (1) The officer should be clear from vigilance angle and certificate to this effect shall have to be furnished by the parent cadre of the applicant while forwarding the application.

(2). The officer should not have been debarred from central deputation.

(3). The officer should have at least “very good” service record in the last five years, however, preference will be given to officers who have “outstanding” service record with a grading of eight and above.

(4). The officer should not be on study leave or long leave on the date of submitting the application.

(5). The officer should not have been nominated for foreign training or should not be on training or foreign assignment on the date of submitting the application.

(6). All applicable rules and regulations including disciplinary rules etc. shall apply to the appointee.

(7). The Officer will have an “All India” liability to serve in any campus of Footwear Design and Development Institute.

6. **Disqualification.**— No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

8. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, Schedules Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of the post. | Number of posts. | Classification. | Level in the pay-matrix. | Whether selection post or non-selection post. | Age Limit for Direct Recruits. |
|---------------------|--|-----------------|-----------------------------|---|--------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Executive Director. | 12* (Twelve). *Subject to variation depending on workload | Not applicable. | Level-12. (78800-209200) | Not applicable. | Not applicable. |

| Educational and other Qualifications required for direct recruits. | Whether age and Educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees. | Period of Probation, if any. |
|--|---|------------------------------|
| 7. | 8. | 9. |
| Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |

| |
|--|
| Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer. |
| 10. |
| By deputation (including short-term contract). |

| |
|--|
| In case of recruitment by promotion or deputation/transfer, grades from which promotion or deputation / transfer is to be made. |
| 11. |
| <p>By deputation (including short-term contract):</p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector undertaking or Autonomous Body or Statutory Body or University or recognised Research Institute.</p> <p>(i) (a) holding analogous post on regular basis: or</p> <p>(b) with at least eight years' service in Group 'A' or equivalent service in the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory Body or University or recognised Research Institute on the closing date of application.</p> <p>(c) out of the eight years of service in Group 'A' as mentioned above, at least five years of service should be in level 11 in the pay matrix, equivalent in the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory Body or University or recognised Research Institute.</p> <p>(ii) Possessing the following qualifications, namely:-</p> <p>(a) Bachelor degree from a recognised University:-</p> <p>(b) with at least five years' experience in the field of administration.</p> <p>(iii) Desirable</p> <p>(a) Experience in Leather Technology or Industry of at least one year .</p> <p>(b) Master in Business Administration.</p> <p>Note 1.—The period of deputation including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> |

Note 2.—The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3.— The period of deputation shall be for a period of five years subject to overall ceiling prescribed by the Government of India. The deputation will be on foreign service terms and conditions of the Central Government.

Note 4.—In the event of performance being found unsatisfactory, the competent authority reserves the right to repatriate the officer to his/her parent cadre any time during the tenure. The decision of the competent authority in such cases shall be final and binding.

Note 5.—Other terms and conditions of the deputation shall be governed by the relevant instructions issued by the Central Government from time to time.

Note 6.—Individuals serving in a higher level (not higher than level 13 or equivalent to the Director in the Government of India can also apply and they shall be considered for appointment, if a suitable candidate from the eligible category is not found.

| If a Departmental Selection Committee exists what is its composition? | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment. |
|--|---|
| 12. | 13. |
| (a) Joint Secretary Department of Commerce-Chairperson (b) Managing Director, Footwear Design and Development Institute (in his absence Secretary, Footwear Design and Development Institute) - Member. (c) One member from Leather Industry; and (d) One outside expert of eminence from prominent organisations like Central Leather Research Institute or National Institute of Fashion Technology or Indian Institute of Technology or National Institute of Design to be nominated by the Department of Commerce, Government of India. | Not applicable. |

[F. No. K-50011/1/2018-EP (LSG)]

ANITA PRAVEEN, Jt. Secy.